न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/4 **दायरा दिनांक : 02.01.2023**

उनवान

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

प्रहलाद आयु 57 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी बरला हाल निवासी गायत्री नगर अटरू (फील्ड के पास) तहसील अटरू, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रघुवीर प्रसाद मीना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

दिनांक : 20.08.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 215/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल बरला, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) में पुराना खसरा नं. 9 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा आराजी का आवंटन हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल. आर.एक्ट के तहत पेश किया कि वाके ग्राम बरला, तहसील अटरू में पुराना खसरा नं. 1 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा आराजी मेरे भाई कालू पुत्र श्री मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी बरला, तहसील अटरू को दिनांक 24.01.1993 को आवंटन कमेटी द्वारा एलोट की गई थी। दिनांक 16.06.1983 को पटवारी हल्का द्वारा आराजी पर कब्जा दिया गया था। जिसका नामान्तरकरण सं. 204 तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किया गया था। दिनांक 07.02.2016 को रेस्पोडेंट/वादी का भाई कालूलाल की मृत्यु गायत्री नगर में हुई है जो लाऔलाद था व रेस्पोडेंट वादी का दूसरा भाई बजरंग लाल भी लाऔलाद दिनांक 10.05.2004 को फौत हो चुका है। रेस्पोडेंट/वादी के भाई के नाम दिनांक 24.01.1983 को खसरा नं. 1 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा आराजी वाके ग्राम बरला, तहसील अटरू में आवंटन हुई थी व दखल दिनांक 16.06.1983 को दिया गया था गैरखातेदारी का नामान्तरकरण सं. 204 तस्दीक किया था

20/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

परन्तु रेस्पोडेंट/वादी के भाई कालूलाल का उक्त विवादित आराजी पर उसके जीवनकाल में कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, इसलिए उक्त विवादित आराजी को बंजड घोषित कर दिया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट/वादी के भाई कालूलाल ने वर्ष 1983 से वर्ष 2016 तक उक्त विवादित आराजी बाबत कोई भी दावा सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया। रेस्पोडेंट/वादी मृतक कालूलाल का जायज वारिस नहीं है। सक्षम न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादी ने कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया केवल वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक कालूलाल का जायज वारिस मानकर उक्त सरकारी आराजी को खातेदारी अधिकार देने का वाद पर निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है, जो काबिले खारिज है। उक्त वाद में रेस्पोडेंट/वादी में धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत किसी भी प्रकार की कब्जा बाबत रिपोर्ट तलब नहीं की एवं उक्त वाद पत्र में राज. सरकार जरिये तहसीलदार अटरू को जवाब व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्ती बाबत किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हल्का पटवारी से कब्जा बाबत प्राप्त नहीं की जबकि विवादित आराजी की कब्जा रिपोर्ट मंगवायी जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। खसरा नं. 1 व खसरा नं. 11 रकबा 0.91 हेक्टर पर रेस्पोडेंट/वादी को केवल जमाबंदी सं. 2072 व 2073 को आधार मानकर खातेदार कृषक घोषित करने में भारी भूल की है जबकि आवंटन आदेश 24.01.1983 का है जबकि रेस्पोडेंट/वादी का भाई कालूलाल दिनांक 07.02.2016 को ही फौत हो चुका था। जिसको करीबन 39 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच रेस्पोडेंट/वादी के भाई ने उक्त विवादित आराजी गैर खातेदारी से खातेदारी लेने हेतु कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में पेश नहीं की। इसलिए उक्त आराजी को पुनः रेस्पोडेंट/वादी का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं देकर उक्त वाद में निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट/वादी के भाई के नाम खुले नामान्तरकरण सं. 204 दिनांक 20.08.1983 खोलने के बाद ही रेस्पोडेंट/वादी के भाई द्वारा कब्जा नहीं करने के कारण उक्त इंतकाल नं. 204 निरस्त किया गया तथा उक्त विवादित आराजी को खाता राज किया गया है। जिस पर रेस्पोडेंट/वादी को कोई भी अधिकार नहीं है कि वह अपने को उक्त वाद में मृतक कालू लाल का वारिस घोषित कर उक्त विवादित आराजी में खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 निरस्त किया जावे एवं उक्त निर्णय व डिक्री की पालना नहीं करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कालूलाल को आवंटित हुई थी। कालूलाल की मृत्यु दिनांक 07.02.2016 को हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकारी आराजी पर खातेदारी दे दी जो

20/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

त्रुटिपूर्ण है। अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.01.2021 निरस्त की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 476 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। मियाद के बारे में सरकार को जानकारी नहीं होने का तथ्य मान्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.01.2021 को यथावत रखा जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा अपने भाई कालूलाल पुत्र मोती की अलोटशुदा आराजी को अपने खाते दर्ज कराने हेतु वाद पेश किया। वादी द्वारा आवंटन आदेश, दखलनामा तथा नामान्तरकरण की प्रति पेश की। आवंटन आदेश सन् 1983 का है जिसके साथ सलंग्न दखलनामा से दखल देना प्रकट होता है। दखल के पश्चात् आदिनांक तक वादी/उसके भाई कालूलाल पुत्र मोती के कब्जे काश्त होने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से कब्जे की रिपोर्ट भी नहीं मंगवायी गयी। कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसील की रिपोर्ट भी नहीं होने से वादी का कब्जा उक्त भूमि पर होना प्रकट नहीं होता।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर ही वादी को कालूलाल पुत्र मोती का वारिस स्वीकार करना त्रुटिपूर्ण है। कालूलाल पुत्र मोती की आराजी बाबत ऐसी कोई जमाबंदी पेश नहीं हुई जिसमें वह खातेदार दर्ज हो। वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल से सैटलमेंट की त्रुटि को भी साबित नहीं किया गया, ना ही यह सिद्ध होता है कि सैटलमेंट द्वारा त्रुटि किस वर्ष में हुई सेटलमेंट से पूर्व एवं पश्चात का नक्शा भी पेश नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वाद पत्र के कथनानुसार अनुतोष देना त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाना और अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां राजस्थान

अपीलांट्स **बनाम**

प्रहलाद आयु 57 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी बरला हाल निवासी गायत्री नगर अटरू (फील्ड के पास) तहसील अटरू, जिला बारां राज0

रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2023/4**
मु.द.नं0 **215/2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **21.01.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **24 माह 07** सन् **2024**

श्री **चन्द्र प्रकाश मीना** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **रघुवीर प्रसाद मीना** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 निरस्त किया जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **20 माह 08 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

20/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)